

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

2/3/17

वादीगण एवं उनके अभिभावक अनुपस्थित। उन्हें आवाजे  
लगवाई गई लेकिन कोई हाजिर नहीं आया। उपस्थित  
वकील प्रतिवादीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन  
किया गया। शहादत वादी में वादीपक्ष को 32 अवसर दिये  
जाते पर भी किसी के बयान नहीं कराये से एक बन्द किये  
गये उसी प्रकार वादीपक्ष का प्राप्ता अवसर्गति धारा 15।  
जाण दी दि 27-09-2013 से कदम में लखित हैं यही नहीं वादी  
पक्ष गत तारीख जेरी पर भी अनुपस्थित रहा हैं वादीपक्ष  
प्रक्रमा में कोई व्यक्ति नहीं ले रहा हैं एसी स्थिति में वाद पत्र  
अदम तकमीली एवं अदम हाजिरी अदम बैरवी में खारिज किया  
जाता हैं। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से सभ है।

उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (जजमेर)

